रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229396
CG-DL-E-03092021-229396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
No. 498] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

(आय-कर)

सा.का.नि. 612(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 194त, और 206कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –(1) इन नियमों का संक्षित नाम आयकर (26 वां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), में नियम 26ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"26घ. (1) धारा194त के अधीन वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दावों की घोषणा और साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना.-(1) धारा 194त के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित घोषणा निर्दिष्ट बैंक को प्ररूप12खखक में सम्यक रूप से सत्यापित प्ररुप दस्तावेज में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) प्ररुप संख्या 12खखक में घोषणा प्रस्तुत किए जाने पर विनिर्दिष्ट बैंक, अध्याय 4-क के अधीन अनुज्ञेय कटौती और धारा 87क के अधीन अनुज्ञेय रिबेट कार्यान्वित करने के पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की गणना करेगा तथा प्रवृत्त दर के आधार पर ऐसी कुल आय पर आयकर में कटौती करेगा।

(3) पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अध्याय 4-क के अधीन अनुज्ञेय कटौती को प्रभाव प्रदान किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा और उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अध्याय 4-क के अधीन कटौती दावे के साक्ष्य विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा उचित रुप से रखे जाएंगें और आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त या आयकर मुख्य आयुक्त को जब भी अपेक्षित हों, उपलब्ध करवाए जाएंगें।

(5) आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो निर्दिष्ट बैंक द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररुप संख्या12खखक की विशिष्टियों और उपनियम (3) में निर्दिष्ट साक्ष्यों को आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त या आयकर मुख्य आयुक्त को जब भी अपेक्षित हो प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेंगे।

3. प्रधान नियम के नियम 31 के उपनियम (1) में उपखंड (क) में "धारा 192" शब्दों और अंकों के पश्चात् "और धारा 194त" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगें।

4. मूलनियम के नियम 31 क में,-

(i) उप-नियम (1) में,

(I) खंड (क) में, "धारा 192" के शब्दों और अंकों के पश्चात् "और धारा 194 त" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगें।

(II) खंड (ख) में, "धारा 193 से 196घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्"(धारा 194त के अलावा)" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ii)उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3ख) धारा 194त के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी निर्दिष्ट बैंक अध्याय 4-क के अधीन दावा की गई कटौती के लिए विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, जब भी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।

5.मूलनियम के परिशिष्ट II में,-

(i) प्ररूप संख्या 12खख के पश्चात्,निम्नलिखित प्ररुप को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप संख्या 12खखक

(नियम 26घ देखिए)

धारा 194त के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उप-खंड (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत किए जाना वाली घोषणा

(1) व्यक्ति का नाम और पता :

(2) पैन या आधार :

(3) पूर्व वर्ष :

(4) जन्म की तारीख :

(5) विनिर्दिष्ट बैंक का नाम :

(6) नियोक्ता का नाम जिससे पेंशन आर्हत की जाती है :

(7) पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या :

सत्यापन

मैं, ...का पुत्र/पुत्री……………………………………प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना पूर्ण और सत्य है यह है कि मैं पेंशन की आय के अतिरिक्त मेरी कोई आय नहीं है और/या ब्याज जो ऊपर कथित विनिर्दिष्ट बैंक के खाते या खातों में ही प्राप्त किया गया है या प्राप्त किए जाने योग्य है

तारीख .... ……………

स्थान .... (व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरानाम: ...."

(ii)प्ररुप सं.16 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररुप सं.16

[नियम 31(1)(क) देखिए]

भाग क

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन धारा 192 के अधीन किसी कर्मचारी को संदत्त किए गए वेतन के स्रोत या धारा 194त के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की पेंशन/ब्याज आय पर कटौती प्रमाण-पत्र

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रमाणपत्र संख्या</td><td colspan="3">अंतिम बार अद्यतन की गई</td></tr>
<tr><td colspan="2">कर्मचारी/विनिर्दिष्ट बैंक का नाम और पता</td><td colspan="3">कर्मचारी/वरिष्ठ नागरिक का नाम और पता</td></tr>
<tr><td>कटौतीकर्ता का पैन</td><td>कटौतीकर्ता का टैन</td><td>कर्मचारी/ विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का पैन</td><td colspan="2">कर्मचारी द्वारा दी गई संदर्भ संख्या/ पेंशन भुगतान आदेश संख्या
(यदि उपलब्ध है)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">सीआईटी(टीडीएस)
पता ……………………………
शहर…………………………………
पिन कोड …………………………..</td><td>निर्धारण वर्ष</td><td colspan="2">कर्मचारी की अवधि</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>से</td><td>तक</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

कर्मचारीके संबंध में संदत्त/जमा की गई रकम और उसके स्रोत पर कर कटौती का संक्षिप्त विवरण				
तिमाही	धारा 200 की उप धारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या	संदत्त/ जमा की गई रकम	कर कटौती की रकम (रु.)	जमा/प्रेषित कर की रकम (रु.)
कुल (रु.)				

1. कटौती किए गए और बही समायोजन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.)	बही पहचान संख्या (बीआईएन)			
		प्ररूप संख्या 24छ की प्राप्ति संख्या	प्ररूप संख्या 24छ में डीडीओ क्रम संख्या	अंतरण वाउचर की तारीख (दिदि/मम/वववव)	प्ररूप संख्या 24छ के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल (रु.)					

2. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा(कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने व्यक्ति के बाबत जमा किया गया कर (रु.)	चालान पहचान संख्याक (बीआईएन)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिदि/मम/वववव)	चालान क्रमसंख्या	ओएलटीएएस के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल (रु.)					

सत्यापन

मैं, ………………………………………….. पुत्र/पुत्री ……......... जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ……………......रुपए [केवल……………………...(शब्दों में)] की राशि की कटौती की गई है और

केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्ताकों, दस्तावेजों, और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है ।

स्थान : ….............................. (कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख : …..............................

पदनाम : …………………………. .पूरा नाम : …………………………..

[भाग ख (उपाबंध-I)]

धारा192 . के अधीन कर कटौती के लिए कर्मचारियों के संबंध में

संदत्त वेतन और किसी अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे				
क	क्या धारा 115खकग के अधीन कराधान का विकल्प चुना जा रहा है?		[हाँ/नही]	
1.	सकल वेतन			
(क)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधोंके अनुसार वेतन		रु. …	
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार जहां भी लागू हो)		रु… .	
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12खक, जहां भी लागू हो)		रु. …	
(घ)	कुल			रु. …
(ङ.)	अन्य कर्मचारी से (कर्मचारियों)प्राप्त वेतन की कुल राशि का विवरण		रु. …	
2.	घटाए: धारा 10 . के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते			
(क)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता		रु. …	
(ख)	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान		रु. …	
(ग)	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का परिवर्तित मूल्य		रु. …	
(घ)	धारा10(10कक)के अधीन छुट्टी वेतन नकदीकरण के नकद समतुल्य		रु. …	
(ङ)	धारा 10(13क) के अधीन आवास किराया भत्ता		रु. …	
(च)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम			
	खंड …	रु. …		
	खंड …	रु. …		
	खंड …	रु. …		
	खंड …	रु. …		
	खंड …	रु. …		

	…	रु. …		
(ज)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम		रु. …	
(छ)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम [2(क)+2(ख)+2(ग)+2(घ)+2(ड़)+2(छ)]			रु. …
3.	वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त वेतन की कुल रकम [1(घ) -2 (ज)]			रु. …
4.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौती			
(क)	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती		रु. …	
(ख)	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		रु. …	
(ग)	धारा 16(iii) के अधीन रोजगार पर कर		रु. …	
5.	धारा 16 के अधीन कटौती की कुल रकम [4(क)+4(ख)+4(ग)]			रु. …
6.	शीर्ष "वेतन" [(3+1(ड़)-5]के अधीन प्रभार्य आय			रु. …
7.	जोड़ें: धारा 192 (2ख)के अधीन कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			
(क)	रिपोर्ट की गई आवासिय संपत्ति से आय (या स्वीकार्य हानि) कर्मचारी द्वारा टीडीएस के लिए प्रस्ताव		रु. …	
(ख)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय		रु. …	
8.	कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल राशि [7(क)+7(ख)]			रु. …
9.	सकल कुल आय (6+8)			रु. …
10.	अध्याय 4-क के अधीन कटौती			
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध मेकटौती,भविष्य निधि आदि में योगदान		रु. …	रु. …
(ख)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधि के लिए अंशदान के संबंध में कटौती		रु. …	रु. …
(ग)	धारा 80गगघ (1)के अधीन पेंशन योजना के लिए करदाता द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. …	रु. …
(घ)	धारागग80 , 80गगग और 80गगघ(1) के अधीनकुल कटौती		रु. …	रु. …
(ड.)	धारा 80गगघ(1ख)के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना संदत्त/जमा की गई रकम के संबंध में कटौती		रु. …	रु. …
(च)	धारा 80गगगघ(2) के अधीन पेंशन योजना के लिए कर्मचारी द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. …	रु. …

(छ)	धारा 80ङ के अधीन उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ज)	धारा 80ङके अधीन उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
		कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम
(झ)	धारा 80छ के अधीन पूर्त संस्थाओं को कतिपय निधियों के लिए दान के संबंध में कुल कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ञ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खातों में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ट)	धारा 80ङ के अधीन उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती			
	धारा …	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा …	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा …	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा …	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा …	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा …	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	…	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ठ)	अध्याय 4-क के किसी अन्य उपबंध (उपबंधों) के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
11.	अध्याय 4क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग[10(क)+10(ख)+10(ग)+10(घ)+10(ड़)+10(च)+10(छ)+10 (ज)+10(झ))+10(ञ)+10(ट)]			रु. ...
12.	कुल कर योग्य आय (9-11)			रु. ...
13.	कुल आय पर कर			रु. ...
14.	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो			रु. ...
15.	अधिभार, जहां भी लागू हो			रु. ...
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4%			रु. ...
17.	संदेय कर (13+15+16-14)			रु. ...
18.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (विवरण संलग्न करें)			रु. ...
19.	संदेय शुद्ध कर (17-18)			रु. ...

सत्यापन

मैं, ……………………………………..पुत्र/पुत्री ……………………………………….(पदनाम) की हैसीयत से कार्य कर रहा/रही हूं, मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं की उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, टीडीएस विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान : ………………………......

(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख : …………………………......

पदनाम : …………………………..

पूरा नाम : …………………………..

उपाबंध II

धारा 194त के अधीन कर कटौती के लिए विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक के संबंध में

क	**क्या धारा 115खकगके अधीन कराधान का विकल्प चुना जा रहा है?**	[हाँ नही]		
1.	सकल वेतन			
(क)	धारा 17(1) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन		रु. …	
2.	प्राप्त वेतन की कुल रकम			रु. …
3.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौती			
(क)	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती		रु.…	
(ख)	धारा 16(iii) के अधीन रोजगार पर कर		रु. …	
4.	धारा 16 के अधीनकटौती की कुल रकम [3(क)+3(ख)]			रु. …
5.	"वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(2-4]			रु. …
6.	विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा संदत्त अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन ब्याज आय		रु. …	
7.	सकल कुल आय (5+6)			रु. …
8.	अध्याय 4-क . के अधीन कटौती			
			सकल राशि	कटौती योग्य राशि
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान आदि के संबंध में कटौती		रु. …	रु. …
(ख)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में अंशदान के संबंध में कटौती		रु. …	रु. …
(ग)	धारा 80गगघ(1) के अधीन पेंशन योजना में करदाता द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. …	रु. …

(घ)	धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के अधीन कुल कटौती (1)		रु. ...	रु. ...
(ड)	धारा 80गगघ(1ख)के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में भुगतान/जमा राशि के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ख)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ड)	धारा 80ड़ के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
		सकल राशि	योग्यता राशि	कटौती योग्य राशि
(च)	धारा 80छ के अधीन पूर्त संस्थाओं को कतिपय निधियों के लिएदान के संबंध में कुल कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(छ)	धारा 80ननख के अधीन बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ज)	अध्याय 4-क के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती योग्य राशि			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(झ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
9.	अध्याय 4-क [8(क)+8(ख)+8(ग)+8(घ)+8(ड़)+8(च)+8(छ)+8(ज)+ के तहत कटौती योग्य रकम का योग 8(i)]			रु. ...
10.	कुल कर योग्य आय (7-9)			रु. ...
11.	कुल आय पर कर			रु. ...
12.	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो			रु. ...
13.	अधिभार, जहां भी लागू हो			रु. ...
14.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			रु. ...
15.	संदेय कर (11+13+14-12)			रु. ...
16.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (विवरण संलग्न करें)			रु. ...
17.	संदेय शुद्ध कर (16-17)			रु. ...

सत्यापन

मैं, ……………………………………..पुत्र/पुत्री ……………………………………….(पदनाम) की हैसीयत से कार्य कर रहा/रही हूं, मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं की उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, टीडीएस विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है ।

स्थान…………………………........… (कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख…………………………..........… पूरा नाम : ……………………………

टिप्पणियाँ:

1. सरकारी कटौतीकर्ता भाग 1 की मद 1 में जानकारी भरें यदि कर चालान को प्रस्तुत किए बिना संदत्त किया जाता है और भाग क की मद 2 में यदि कर को किसी आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है ।

2. गैर सरकारी कटौतीकर्ता भाग क की मद 2 में पूर्ण जानकारी भरें ।

3. कटौतीकर्ता निर्धारिती के टीडीएस विवरण के संबंध में अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेगा।

4. यदि एक निर्धारिती, वर्ष के दौरान केवल एक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो 31 मार्च 2021 वित्तीय वर्ष को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्ररूप संख्या 16 में प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष के सभी तिमाहियों के लिए काटे गए और जमा किए गए कर का विवरण होगा।

5. (i) यदि एक निर्धारिती, वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक उस अवधि से संबंधित प्ररूप संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के साथ नियोजित था।

(ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा प्ररूप संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध-I) जारी किया जा सकता है।

(iii) निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को निर्दिष्ट बैंक द्वारा प्ररूप 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध -II) जारी किया जा सकता है।

6. भाग क के मद I और मद II में, कटौतीकर्ता के संबंध में जमा किए गए कर के स्तंभ में, कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल राशि प्रस्तुत करें।

7. कटौतीकर्ता कर्मचारी को भाग ख (उपाबंध) प्रस्तुत करने से पहले, मद संख्या 2(च) और 10(ट) में जहां उपलब्ध हो, सम्यक रूप से विवरण भरेगा।";

(iii) प्रपत्र संख्या 24थ के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रपत्र नंबर 24थ

[धारा 192, ए31 त और नियम194देखें]

धारा 192 के अधीन कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन या धारा 194त के अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की आय के संबंध में,आयकर अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) के अधीन(जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च), ... (वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली कर की कटौती का तिमाही विवरण,

1. (क) कर कटौती और संग्रह लेखा संख्याक (टैन)

(ख)स्थायी लेखा संख्याक (पैन) [टिप्पण 1 देखें]

(ग)वित्तीय वर्ष

(घ)क्या इस तिमाही के लिए पहले विवरण फाइल किया गया है (हां/नहीं)

(ड) यदि (घ) का उत्तर "हां" है, तो मूल विवरण की टोकन संख्या

(च) कटौतीकर्ता का प्रकार [टिप्पण 2 देखे

2. कटौतीकर्ता (नियोजक) का विवरण

(क) नियोजक का नाम

(ख)यदि केंद्रीय /राज्य सरकार नाम (टिप्पण 3 देखें)

पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएन कोड

(ग)टैन रजिस्ट्रीकरण संख्या

(घ)पता

फ्लैट सं.

परिसर/भवन/सड़क/गली/क्षेत्र/स्थान लेन का नाम

नगर/शहर/जिला राज्य

पिन कोड

टेलीफ़ोन नंबर।	
वैकल्पिक टेलीफोन नंबर (टिप्पण 4 देखें)	
ईमेल	
वैकल्पिक ईमेल (टिप्पण 4 देखें)	

3. कर की कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का विवरण:

(क) नाम	
(ख)पता	
फ्लैट सं.	
परिसर/भवन सड़क/गली/लेन क्षेत्र/स्थान का नाम	
टाउन/शहर/जिला राज्य	
पिन कोड	
टेलीफ़ोन नंबर।	
वैकल्पिक टेलीफोन नंबर (टिप्पण 4 देखें)	
ईमेल	
वैकल्पिक ईमेल (टिप्पण 4 देखें)	
मोबाइल नंबर।	

4. कर की कटौती और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा के विवरण

क्र. सं.	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	ब्याज	फीस (टिप्पण 12 देखें)	शास्ति / अन्य	चालान/समायोजन के अनुसार जमा कुल राशि **(302+303+304+305+306+307)** (टिप्पण **6** देखें)	चालान (ग) / समायोजन (ख) के माध्यम से टीडीएस जमा करने का रीति समायोजन (टिप्पण **7** देखें)	बीएसआर कोड / प्रपत्र नंबर की रसीद संख्या। **24**छ (टिप्पण **8** देखें)	चालान क्रमांक/डीडीओ क्रमांक नं. प्रपत्र **24**छ (टिप्पण **8** देखें)	वह तारीख जब चालान के माध्यम से राशि जमा की गई/वाउचर के अंतरण की तारीख माध्यम से जमा (टिप्पण **8** देखें)	चालान का लघु शीर्ष (टिप्पण **9** देखें)
[301]	[302]	[303]	[304]	[305]	[306]	[क30]	[308]	[309]	[310]	[311]	[312]	[313]
1												
2												
3												

5. कर्मचारियों से भुगतान किए गए वेतन और उस पर कर कटौती का विवरण -

(i) सुसंगत तिमाही के ब्यौरों वाले प्रत्येक विवरण के साथ उपाबंध I संलग्न करें;

(ii) 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अंतिम विवरण के साथ उपाबंध II संलग्न करें जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष का विवरण हो।

(iii) 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अंतिम विवरण के साथ उपाबंध III संलग्न करें जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष का विवरण हो।

सत्यापन

मैं,.. , इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही हैं और पूर्ण।

....

स्थान : ....। स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: ....। स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पणियाँ:

1. कृपया सरकारी कटौतीकर्ता या गैर-सरकारी कटौतीकर्ता का उल्लेख करें।
2. केंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग के नाम का उल्लेख करें। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य के नाम का उल्लेख करें।
3. वैकल्पिक टेलीफोन नंबर और वैकल्पिक ईमेल में, कृपया किसी व्यक्ति का टेलीफोन नंबर और ईमेल प्रस्तुत करें जो कटौतीकर्ता या कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सकता है।

4. टीडीएस विवरण देर से भरने के लिए धारा 234ङ के अधीन भुगतान किया गया फीस 'फीस' (स्तंभ 306) के अलग स्तंभ में उल्लेखित

5. स्तंभ 308 में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/टीओ/सीडीडीओ द्वारा प्रेषित टीडीएस की राशि का उल्लेख करना है। अन्य कटौतीकर्ता चालान के माध्यम से जमा किए गए टीडीएस की सही राशि लिखें।

6. स्तंभ 309 में, सरकारी कटौतीकर्ताओं को "ख" लिखना है जहां टीडीएस को समायोजन बही के माध्यम से केंद्रीय सरकार की जमा खाते में प्रेषित किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता "ग" लिखें।

8. चालान/अंतरण वाउचर (सीआईएन/बिन) विवरण, अर्थात 310, 311, 312 यथावत वैसा ही होना चाहिए जैसी कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध है।

9. स्तंभ 313 में चालान पर अंकित लघु शीर्ष का उल्लेख करें।

उपाबंध - I: टीडीएस का कटौती करने वाले व्यक्ति वार ब्रेक अप

(कृपया प्रत्येक पंक्ति के लिए अलग उपाबंध का उपयोग करें - मुख्य प्रपत्र 24थ के क्रमांक 04 पर सारणी में मद)

कर्मचारियों से भुगतान किए गए वेतन और उससे काटे गए कर का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड / फॉर्म संख्या की रसीद संख्या। 24छ		
जिस तारीख को चालान जमा/हस्तांतरण वाउचर तारीख (दिन/माह/वर्ष)		
चालान क्रमांक/डीडीओ प्रपत्र 24छ का क्रमांक		
चालान के अनुसार राशि		
कुल टीडीएस कटौती करने वालों के बीच आवंटित किया जाना है जैसा कि कॉलम के ऊर्ध्वाधर कुल में है। 326		
नीचे कटौती करने वालों के बीच आवंटित किया जाने वाला कुल ब्याज		

नियोजक का नाम		
टैन		

क्र.सं.	**नियोजक/पीपीओ संख्या द्वारा प्रदान किया गया कर्मचारी संदर्भ संख्या, यदि उपलब्ध हो**	**कर्मचारी/निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का पैन**	**कर्मचारी/निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का नाम**	**धारा कोड [टिप्पण 4 देखें]**	**भुगतान/क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)**	**कटौती की तारीख (दिन/माह/वर्ष)**	**भुगतान की गई या जमा की गई राशि**	**कर**	**अधिभार**	**शिक्षा उपकर**	**कुल टीडीएस (स्तंभ 322, 323, 324 का कुल योग)**	**कुल टीडीएस जमा रु.**	**जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)**	**गैर-कटौती/कम कटौती/उच्च कटौती का कारण [टिप्पण 1,2 और 3 देखें]**	**निर्धारण अधिकारी द्वारा गैर-कटौती/कम कटौती के लिए जारी धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र की संख्या**
[314]	[315]	[316]	[31ए]	[318]	[319]	[320]	[321]	[322]	[323]	[324]	[325]	[326]	[32ए]	[328]	[329]
1															
2															

3															
संपूर्ण															

कर्मचारियों से भुगतान किए गए वेतन और उससे काटे गए कर का विवरण

सत्यापन

मैं,.., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं ।

स्थान : .... स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

तारीख : .... स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदाई व्यक्ति का नाम और पदनाम ....

टिप्पणियाँ :

1. "क" लिखें यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन कम दर पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। ऐसे मामलों में कर्मचारी का पैन अनिवार्य है।
2. यदि धारा 197 के अधीन कर की कटौती न करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है तो "ख" लिखें। ऐसे मामलों में कर्मचारी का पैन अनिवार्य है।
3. यदि कटौतीकर्ता द्वारा पैन प्रस्तुत न करने के कारण उच्च दर पर कटौती की जा रही है तो "ग" लिखें।
4. धारा कोड की सूची इस प्रकार है:

धारा	**संदाय की प्रकृति**	**धारा कोड**
192	संघ सरकार के कर्मचारियों से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को भुगतान	क92
192	सरकारी कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों को भुगतान	ख92
192	भारत सरकार के कर्मचारियों को भुगतान	ग92
त194	निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को भुगतान	त94

उपाबंध II

वित्तीय वर्ष.. के दौरान संदत्त या जमा वेतन का विवरण और देय शुद्ध कर (धारा 192 के अधीन)

क्र.सं.	कर्मचारी का स्थायी लेखा संख्या।	कर्मचारी का नाम।	क्या धारा 115खकग के अधीन कराधान का विकल्प चुना जा रहा है? [हाँ नही]	कटौतिकर्ता के प्रकार (वरिष्ठ नागरिक, सुपर वरिष्ठ नागरिक, अन्य)।	चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान नियोजक के साथ नियोजित होने की तारीख से और तारीख तक (दिन/मास/वर्ष)।	(क)धारा 17(1) में निहित उपबंधो के अनुसार सकल वेतन।	(ख)धारा 17(2) के अधीन अनुलाभों का मूल्य (प्रपत्र संख्या 12खक के अनुसार, जहां भी लागू हो)।	(ग)धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्रपत्र संख्या 12खक के अनुसार, जहां भी लागू हो)।	वर्तमान नियोजक से प्राप्त सकल वेतन की कुल राशि (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 देखें)।
(330)	(331)	(332क)	(332ख)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)

अन्य नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल राशि की सूचना दी (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 देखें)।	धारा 10(5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता।	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान।	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का परिवर्तित मूल्य।	छुट्टी वेतन नकदीकरण के बराबर नकद धारा 10(10कक) के अधीन।	धारा 10(13क) के अधीन मकान किराया भत्ता।	मकान मालिक का पैन, यदि धारा 10(13ए) के अधीन छूट का दावा किया जाता है (टिप्पण 3 देखें)।	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की राशि।	धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की कुल राशि (340+341+342+343+344+346)।	धारा 16(ia) के अधीन कुल कटौती।
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)

धारा 16(ii) के अधीन कुल कटौती।	धारा 16(iii) के अधीन कुल कटौती।	शीर्ष "वेतन" के अधीन प्रभार्य आय [338+339-(347+348+349+350)]।	धारा 192 (2ख)के अनुसार टीडीएस के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या स्वीकार्य हानि)।	ऋणदाता का पैन, यदि आवास ऋण पर ब्याज धारा 24 (ख)के अधीन दावा किया गया है (टिप्पण 4 देखें)।	धारा 192 (2ख)के अनुसार टीडीएस के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोतों के मद में आय।	सकल कुल आय (351+352+ 354)।	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान आदि के संबंध में कटौती।		धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में अंशदान के संबंध में कटौती।		धारा 80गगघ(1) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में करदाता द्वारा योगदान के संबंध में कटौती	
							सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)

धारा 80गगघ(1ख)के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना के अधीन भुगतान या जमा की गई राशि के संबंध में कटौती।		धारा 80गगघ(2) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में नियोजक द्वारा योगदान के संबंध में कटौती।		धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती।		धारा 80ङ के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती।		धारा 80छ के अधीन कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दान के संबंध में कुल कटौती।			धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती।			अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य राशि।			अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य कुल राशि [357+359+361 (1,50,000 रुपये तक सीमित) +363 +365+367+369+372+375+378]।
सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	योग्यता राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	योग्यता राशि	कटौती योग्य राशि	सकल राशि	योग्यता राशि	कटौती योग्य राशि	
(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)

कुल कराधेय आय (355-379).	कुल आय पर आयकर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार जहां कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जहां वेतन आदि बकाया या अग्रिम के रूप में संदत्त किया जाता है	कुल कर दायित्व [381+383+384-(382+385)].	सम्पूर्ण वर्ष के लिए वर्तमान नियोजक द्वारा स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग]	अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा स्रोत पर कर कटौती की रिपोर्ट की गई रकम (स्तंभ 339 में कुल कराधेय आय की संगणना में, जिसके संबंध में आय)	सम्पूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम (387+388).	कर कटौती में कमी (+) या आधिक्य कर कटौती (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

टिप्पण:

1. वेतन के अन्तर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपदान (धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न), फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन जमा रकम का पुनः संदाय, परिलब्धियां, किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ जिसके अन्तर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में किए गए संदाय भी हैं, वेतन का अग्रिम, उपयोग नहीं की गई किसी अवधि की छूट्टी के संबंध में प्राप्त कोई संदाय (धारा 10 (10कक) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसार कर से प्रभार्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में खाते के बकाया में कोई वार्षिक अभिवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (4) के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय समझी गई कोई राशियां, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां

2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त उपलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को उस कर्मचारी के कोई अभिदाय उसके निमित्त संदत्त करता है, ऐसी सभी कटौतियां या संदाय विवरण में सम्मिलित होंगे।

3. भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्याक् अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है।

4. उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां गृह ऋण, जिसपर ब्याज संदत्त किया जाता है, वित्तीय संस्था या नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से लिया जाता है।

उपाबंध 3

वित्तीय वर्ष -------- के दौरान संदत्त या जमा की गई पेंशन और ब्याज आय तथा कराधेय कुल कर के ब्यौरे (धारा 194त के अधीन)

क्रम सं.	विनिर्दिष्ट ज्येष्ठ नागरिक का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार	विनिर्दिष्ट ज्येष्ठ नागरिक का नाम	कटौती करवाने वाले का प्रकार (ज्येष्ठ नागरिक/अत्यन्त ज्येष्ठ नागरिक)	क्या धारा 115खकग के अधीन कराधान का विकल्प दिया है [हां/नहीं]	धारा 17(1) के खंड (ii) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कुल पेंशन	धारा 16 के अधीन कटौती			'वेतन' शीर्ष के अधीन आय	विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा संदत्त अन्य स्रोतों के अधीन ब्याज आय	सकल कुल आय
						धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	नियोजन पर कर (16(iii))	योग			
(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399) = (397) + (398)	(400) = (396)-(398)	(401)	(402) = (400)+ (401)

धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदायों आदि के संबंध में कटौती		धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय के संबंध में कटौती		धारा 80गगघ(1) के अधीन पेंशन स्कीम में करदाता द्वारा अभिदाय के संबंध में कटौती		धारा 80ग, धारा 80गगग और 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती [1,50,000रु. से अधिक नहीं]	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम में संदत्त, जमा रकम के संबंध में कटौतियां		धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		धारा 80ङ के अधीन उच्चतर शिक्षा के लिए लिए गए ऋण के संबंध में कटौती		धारा 80छ के अधीन कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को संदानों के संबंध में कटौती			धारा 80ननख के अधीन बचत खाते में जमाओं पर ब्याज के संबंध में कटौती		
कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम		कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम	कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम
(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)

अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य रकम				अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग	कुल कराधेय आय	कुल आय पर कर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार, जहां कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	संदेय कर	धारा 89 के अधीन अनुतोष	कुल संदेय कर
धारा कोड (टिप्पण 1 देखें)	कुल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम									
(422)	(423)	(424)	(425)	(426) = (409) +(411)+(413)+(415)+(418)+(421)+(425)	(427) = (402)-(426)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432) = (428) + (430) + (431)-(429)	(433)	(434)

टिप्पण:

1. धारा कोड:

क्र. सं.	धारा	विशिष्टियां	धारा कोड
1	80घघ	अनुरक्षण के संबंध में कटौती जिसके अन्तर्गत आश्रित का चिकित्सा उपचार भी है, जो दिव्यांग व्यक्ति है	घघ
2	80ङङ	आवासीय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	ङङ
3	80ङङक	कतिपय गृह संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80ङङ के अन्तर्गत नहीं आने वाली)	ङङक
4	80छछ	संदत्त किरायों के संबंध में कटौती	छछ
5	80छछग	राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अभिदायों के संबंध में कटौती	छछग
6	80प	दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कटौती	त ।”;

(iv) प्ररुप सं. 26थख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररुप सं.**26**थग

[धारा 194झख, नियम 30(2ख) और नियम 31क(4ख) देखिए]

धारा **194**झख के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष कोड*	2	0	गौण शीर्ष कोड*	8 0 0
किराएदार/पट्टाधारी/संदायकर्ता का [स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक]					
किराएदार/पट्टाधारी/संदायकर्ता का पूर्ण नाम*					
किराएदार/पट्टाधारी/संदायकर्ता का पूर्ण पता					
				पिन	
मोबाइल सं.		ईमेल आईडी-			
क्या एक से अधिक किराएदार/पट्टाधारी/संदायकर्ता हैं (हां/नहीं)					
भूस्वामी/पट्टा देने वाले/संदायप्राप्तकर्ता का [स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक]					
स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक का प्रवर्ग		स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक की प्रास्थिति*			
भूस्वामी/पट्टा देने वाले/संदायप्राप्तकर्ता का पूर्ण नाम					

भूस्वामी/पट्टा देने वाले/संदायप्राप्तकर्ता का पूर्ण पता			
		पिन	
मोबाइल सं.		ईमेल आईडी-	
क्या एक से अधिकभूस्वामी/पट्टा देने वाले/संदायप्राप्तकर्ता हैं (हां/नहीं)			

किराए पर दी गई संपत्ति का पूर्ण पता				पिन	
किराएदारी की अवधि***		संदत्त किराए का कुल मूल्य (रकम रु. में)		पिछले मास में संदत्त किराए का मूल्य (रकम रु. में)	
क्या धारा 206कख के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौतीउच्चतर दर पर की जाती है (हां. /नहीं)					

संदत्त/जमा की गई रकम(रु. में)	संदाय/जमा की तारीख**	दर जिसपर कटौती की गई (टिप्पणदेखिए 1)	स्त्रोत पर कर कटौती की रकम	कटौती की तारीख**

जमा की तारीख**		संदाय का ढंग	समकालिक ई-कर संदाय

		पश्चात्वर्ती तारीख को ई-कर संदाय
स्रोत पर कर की कटौती के संदाय के ब्यौरे (रकम रुपए में)		
टीडीएस (आयकर-)(इस रकम के लिए कर का प्रत्यय कटौती करवाने वाले को दिया जाएगा)		
ब्याज फीस		
कुल संदाय		
कुल संदाय शब्दों में (रु. में)		

करोड़	लाख	हजार	सौ	दस	ईकाईयां

* स्वतः ही अध्यतन किया जाए ।

** तारीख/मास/वर्ष रूप में ।

** * किराएदारी की अवधि के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए किराए पर दी गई संपत्ति के मासों की संख्या उल्लिखित की जा सकेगी ।

टिप्पण

1. धारा 206कख के उपबंधों के मामले में कर की कटौती उच्चतर दरों पर की जाए ।”;

(vi) प्ररुप सं. 26थघ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

प्ररुप सं.26थघ

[धारा 194ड, नियम 30(2ग), नियम 30(6ग) और नियम 31क(4ग) देखिए]

धारा 194ड के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष	-	मुख्य शीर्ष कोड*गौण शीर्ष कोड*	
कटौतीकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक			
कटौतीकर्ता का पूर्ण नाम			
कटौतीकर्ता का पूर्ण पता			
			पिन
मोबाइल संख्या		ईमेल आईडी-	
कटौती करवाने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक			
स्थायी लेखा संख्यांक का प्रवर्ग*		स्थायी लेखा संख्यांक की प्रास्थिति*	
कटौती करवाने वाले का पूर्ण नाम			
कटौती करवाने वाले का पूर्ण पता			

				पिन	
मोबाइल संख्या		ईमेल आईडी-			
संदाय की प्रकृति (वृत्तिक सेवाओं के लिए संविदा/कमीशन/ब्रोक्रेज के अनुसरण में कार्य)					
संविदा/करार की तारीख**		1 अप्रैल से उस मास के अंत तक जिसमें संदाय किया/जमा किया गया है, संदायों/जमा का योग			
क्या यह धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे कटौती न करने/कम कटौती करने का मामला है (कृपया हां/नहीं पर निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं	कटौती न करने या कम कटौती करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी धारा के अधीन प्रमाणपत्र की 197 संख्या			
क्या धारा 206कख के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती उच्चतर दर पर की जाती है (हां. /नहीं)					
संदत्त/जमा की गई रकम (रु.में) मोबाइल संख्या	संदाय/जमा की तारीख**	दर जिसर कटौती की गई (टिप्पण 1 देखिए)	स्रोत पर कर कटौती की रकम		कटौती की तारीख**
जमा की तारीख**		संदाय का ढंग		समकालिक ईकर संदाय-	
		पश्चात्वर्ती तारीख को ईकर संदाय-			

स्रोत पर कर की कटौती के संदाय के ब्यौरे (रकम रुपए में)

* टीडीएस (आय-कर)(इस रकम के लिए कर का प्रत्यय कटौती करवाने वाले को दिया जाएगा)
* ब्याज
* फीस
* कुल संदाय
* कुल संदाय शब्दों में **(रु मे .)**

करोड़	लाख	हजार	सौ	दस	ईकाईयां

स्वतः ही अध्यतन किया जाए ।

** तारीख/मास/वर्ष रूप में ।

टिप्पण

1. धारा 206कख के उपबंधों के मामले में कर की कटौती उच्चतर दरों पर की जाए ।";

[अधिसूचना सं.99/2021/फा.सं. 370142/11/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604(अ), तारीख 31.08.2021 द्वारा किया गया ।